छत्तीसगढ़ शासन
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय,
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

क्रमांक एफ 5–41/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13/12/2023

प्रति,

ए.आई.जी. (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं
जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग अलीगंज रोड़
नई दिल्ली – 110003।

विषयः– Proposal for diversion of additional 94.293 ha revenue forest land of Gevra OC expansion project of M/s South Eastern Coalfields Limited for Mining n Korba District of Chhattisgarh.

संदर्भः–1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक 8-41/2017-FC(Vol-I), दिनांक 31.10.2023।

2. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) का पत्र क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–274/2690, दिनांक 07.12.2023।

******

विषयांकित प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 1 दिनांक 31.10.2023 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गई है।

2/– उक्त वांछित जानकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) द्वारा संदर्भित पत्र क्रमांक 2, दिनांक 07.12.2023 के माध्यम से प्रेषित किया गया है, जिसकी छायाप्रति उचित कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

Rajput
13.12.23
(के.पी.राजपूत)
अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

पृष्ठां.क्रमांक/एफ 5–41/2023/10–2 नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 13/12/2023

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध), कार्यालय, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़ की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Rajput

अवर सचिव
छत्तीसगढ शासन,
वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, कैपिटल काम्पलेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर–492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 – 2512840 ई – मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू-प्रबंध/खनिज/ 331–274/2630 रायपुर, दिनांक 07/12/2023

प्रति,

प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन
नवा रायपुर, अटल नगर

विषयः– **Diversion of Additional 94.293 Ha. Revenue Forest Land of Gevra OC Expansion Project of M/s South Eastern Coalfields Limited for Coal Mining in Korba District of Chhattisgarh.
(Registration No. FP/CG/MIN/41389/2019 dated 05-11-2019)**

संदर्भ
1. भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र 8-41/2017-FC (Vol-I) दिनांक 31.10.2023
2. छत्तीसगढ़ शासन, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग का पत्र क्रमांक/ एफ 5–41/2023/ 10–02 दिनांक 14.11.2023
3. मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर का पत्र क्रमांक/ तक/ 3321 दिनांक 05.12.2023

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें।

संदर्भ पत्र–1 के माध्यम से प्रकरण में भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा 09 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है, जिसकी संसूचना संदर्भ पत्र–2 से प्राप्त हुई है।

उपरोक्त के अनुक्रम में संदर्भ पत्र –3 के माध्यम से मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर द्वारा 09 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी अनुशंसा सहित प्रेषित की गई है, जो निम्नानुसार है:–

S.No.	Condition	Compliance
i.	The Ministry has granted earlier approvals letters for diversion of 803.129 ha. (46.198 ha, 564.885 ha, 192.046 ha. And 100.898 ha) of forest land for Gevra Opencast mining project in favour of M/s. SECL in Korba district of Chhattisgarh. In this regard, the State Government is requested to submit the status of compliance of conditions stipulated in the earlier approvals to this Ministry.	मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त के प्रतिवेदन अनुसार आवेदक विभाग मेसर्स एस.ई.सी.एल. गेवरा जिला कोरबा द्वारा गेवरा ओपन कास्ट खंनन परियोजना के लिए 803.129 हेक्टेयर (46.198 हेक्टेयर, 564.885 हेक्टेयर, 192.046 हेक्टेयर और 100.898 हेक्टेयर) वनभूमि के पूर्व स्वीकृतियों की निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति संलग्न है। **अनुलग्नक–1**
ii.	The State Government shall also submit the KML file of earlier diverted 803.123 ha. (46.198 ha, 564.885 ha. 192.046 ha and 100.898 ha) forest land along with the KML files of CA land identified for these proposals and the status of CA plantation carried out.	राज्य सरकार इन प्रस्तावों के लिए पहचानी गई सीए भूमि की के.एम.एल. फाइलों और किए गए क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण की स्थिति के साथ पहले से व्यपवर्तित की गई 803.123 हेक्टेयर (46.198 हेक्टेयर, 564.885 हेक्टेयर, 192.046 हेक्टेयर और 100.898 हेक्टेयर) वनभूमि की के.एम.एल. फाइल संलग्न है। **अनुलग्नक–2**
iii.	The details of total lease area and total forest land involved in the lease area required. The details of the same along with the details of balance forest land which need further forest clearance approval, if any, need to be submitted to this Ministry.	कुल पट्टा क्षेत्र और पट्टा क्षेत्र में शामिल कुल वनभूमि का विवरण संलग्न है। **अनुलग्नक–3**

iv.	The details of the validity of the entire mining lease along with detailed chronology of approvals of the mining lease require submission.	खनन पट्टे की मंजूरी के विस्तृत कालक्रम के साथ पूरे खनन पट्टे की वैधता का विवरण संलग्न है। **अनुलग्नक–4**
v.	Status of reclamation measures undertaken by the user agency in their lease area in case of earlier approvals as per the Mining Closure Plans and gaps if any, is to be submitted by the State Govt. Further, in case of instant proposal, the details of proposed reclamation/back-filled area at the end of mine life has not been given in the project report. The same needs submission.	उपयोगकर्ता एजेंसी द्वारा अपने पट्टा क्षेत्र में किए गए पुर्नग्रहण उपायों की स्थिति और अंतराल, गेवरा क्षेत्र परियोजना रिपोर्ट में संलग्न है। 70MTA के लिए प्रस्तावित पुनः दावा का विवरण भी संलग्न है। **अनुलग्नक–5**
vi.	The State Govt. shall provide the details of safety zone of all the mining leases along with KML files as per this Ministry's guideline dt. 25.09.2023.	मंत्रालय के दिशा निर्देश दिनांक 25.09.2023 के अनुसार के.एम.एल. फाइलों के साथ सभी खनन पट्टों के सुरक्षा क्षेत्र का विवरण संलग्न है। **अनुलग्नक–6**
vii.	As per the DSS repost settlement and road is visible in the proposed forest area. In this regard, State Government may offer its comments.	प्रस्तावित वन क्षेत्र राजस्व वन है बस्ती और सड़क लंबे समय से राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा विकसित की गई है।
viii.	As per the DSS report analysis, out of 190.074 ha of DFL identified of CA, 3 ha is MDF, in this regard, the State Govt. shall offer its comments whether 1000 plants per ha as per the existing rules/guidelines can be planted or not.	वनमंडलाधिकारी गरियाबंद वनमंडल गरियाबंद के प्रवितेदनानुसार डी.एस.एस. रिपोर्ट विश्लेषण के अनुसार, 190.074 हे. राज्य सरकार के द्वारा उल्लेखित क्षेत्र में प्रति हेक्टेयर 500 नगपौधे लागए जा सकते है इसके अतिरिक्त उक्त 3.000 हे में बचे शेष 1500 नग पौधा को आवश्यकतानुसार सागौन प्रजाति का रोपण कर 2X2 में रोपण कर उक्त क्षेत्र में समाहित किया जायेगा।
ix.	From the component wise breakup submitted it is observed that an area of 0.125 ha is proposed for mine infrastructure. In this regard, the State Govt. is requested to provide the details of the said infrastructure.	कोयला प्रेषण के लिए खदान के बुनियादी ढांचे के लिए 0.125 हेक्टेयर क्षेत्र में रैपिड लोडिंग सिस्टम का निर्माण प्रस्तावित है, जो मुख्य खनन गतिविधि का एक हिस्सा है।

अतः संदर्भ पत्र–1 के अनुक्रम में मुख्य वन संरक्षक, बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर से प्राप्त 9 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी अनुशंसा सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (2 प्रतियों में)

Bisom
प्र.अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्र./भू–प्रबंध/खनिज/331–274/ 2691
रायपुर, दिनांक 07/12/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **वन महानिरीक्षक, (एफ.सी. डिवीजन),** भारत सरकार – पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, कक्ष क्रमांक 556, पांचवी मंजिल, अग्नि विंग, जोर बाग रोड, नई दिल्ली – 110003.

संलग्नः– उपरोक्तानुसार (1 प्रति में)

2. **मुख्य वन संरक्षक,** बिलासपुर वृत्त, बिलासपुर छत्तीसगढ़।
3. **वन मंडलाधिकारी,** कटघोरा वन मंडल, कटघोरा, छत्तीसगढ़।
4. **महा प्रबंधक,** साउथ ईस्टर्न कोल फिल्ड्स लिमिटेड, कुसमुण्डा क्षेत्र, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़।

Bisom
प्र.अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़